

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-02

देहरादून: दिनांक 24 जनवरी, 2020:

विषय- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय डेरी विकास योजना (NPDD-I एवं NPDD-II), अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में सामान्य मद हेतु रू० 260.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1037-39/नियोजन-NPDD पत्रा०/2019-20, दिनांक 08 जनवरी, 2020 एवं भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य विभाग नई दिल्ली के पत्रों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना अन्तर्गत सामान्य मद में वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्राविधानित धनराशि रू० 260.00 लाख के सापेक्ष NPDD-I हेतु रू० 229.89 लाख राज्यांश तथा NPDD-II हेतु रू० 30.11 लाख राज्यांश अर्थात् कुल रू० 260.00 लाख राज्यांश के रूप में वित्तीय स्वीकृति दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मदों के अनुसार ही व्यय किया जायेगा एवं तदसंबंधी स्पष्ट मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी निर्देशों का पालन अवश्य किया जायेगा।
3. मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा पर प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०-०८ पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का दिनांक 31-03-2020 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।
5. उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों एवं शासन के वर्तमान मितव्ययता संबंधी आदेशों के अन्तर्गत ही किया जाय।
6. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन करते हुए किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।
7. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाय।

8. किसी भी क्रय/विक्रय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, (समय-समय पर यथा संशोधित) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों, डी0जी.एसन.एन.डी. की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा-निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाय।
 9. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।
 10. अवमुक्त की जा रही धनराशि हेतु वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2019 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं लाभार्थियों की सूची सहित शासन एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 2- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-28(आयोजनागत) अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2404-डैरी विकास-00-102-डैरी विकास परियोजनायें-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना(सामान्य)-04-राष्ट्रीय डैरी विकास योजना-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-254/3(150)/-2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 29 मार्च, 2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या- /XV-2/03(53)2003 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार कार्यालय, 'महालेखाकार भवन', कौलागढ़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
5. कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. संयुक्त निदेशक, डैरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, संयुक्त निदेशक/सम्पर्क कार्यालय, देहरादून।
9. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
संयुक्त सचिव।